

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

राजीव कुमार,
सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
नवादा ।

पटना दिनांक...01/03/19.

विषय:- नवादा जिला के लिए अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-194/विधि, दिनांक-06.02.2019 के प्रसंग में निदेशानुसार संसूचित करना है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को नवादा जिला के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्त करते हुए नया पैनल गठित करने की कृपा की है:-


क्र०	अधिवक्ताओं का नाम	पंजीयन संख्या
1.	श्री नरेश कुमार मंडल	529/1980
2.	श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा	998/1989
3.	मो० मोब्बसिर रसुल	2032/1998
4.	श्री देवेन्द्र प्रसाद	57/1980
5.	मो० मिस्बाह रसुल	2034/1998
6.	मो० तारिक	1052/1989
7.	श्री देवानन्द प्रसाद	1484/1996
8.	श्री दीपक कुमार	881/1993
9.	तबस्सुम मेहर	3175/2003
10.	श्री अजीत कुमार	100/1990
11.	श्री राम प्रताप लाल	1313/1990
12.	श्री भोला प्रसाद सिंह	6086/1999
13.	श्री गोरेलाल चौधरी	609/1991
14.	श्रीमती निभा कुमारी	1653/2003
15.	श्री रामकृष्ण चौधरी	1344/1995

2. उक्त पैनल की कालावधि तीन वर्षों की होगी। अतएव अनुरोध है कि तीन वर्षों की अवधि पूरा होने के चार माह पूर्व ही नये पैनल का पूर्णगठन करा लिया जाय।

3. इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् पुराना पैनल स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त पैनल अधिवक्ता को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क ही देय होगा। तथा एक दिवसीय कार्य करने के लिए एक ही दैनिक शुल्क देया होगा।

4. संबंधित सहायक सरकारी वकील यदि लोक अभियोजक/सरकारी वकील/अपर लोक अभियोजक/किसी अधिनियम के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक या सरकार द्वारा प्रायोजित किसी परियोजना में लाभ के पद पर कार्यरत है, तो उन्हें एक सप्ताह के अन्दर अपना विकल्प बताना होगा कि वे किस पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं। उन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी एक पद के लिए ही दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा।


विश्वासभाजन


(राजीव कुमार)

सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....1847....., पटना, दिनांक...01/03/19.....

प्रतिलिपि:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा/लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।



(राजीव कुमार)

सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....1847....., पटना, दिनांक...01/03/19.....

प्रतिलिपि:- माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को ई0मेल करने हेतु प्रेषित।


(राजीव कुमार)

सरकार के प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार।
30/3
01-03-19